हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 58

शनिवार, 31 अगस्त, 2019/9 भाद्रपद,1941 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल की घोषणा करने से पूर्व ही श्री जगत सिंह नेगी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि उन्होंने नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है जो जुलाई-अगस्त महीनों में बरसात, बाढ़ व बादल फटने से हुए जान-माल की क्षति से संबंधित है।

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी-

> "आज दिनांक 31.08.2019 को प्रातः 9.45 मिनट पर सर्वश्री नंद लाल, मोहन लाल ब्राक्टा व जगत सिंह नेगी की ओर से नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई जोकि प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बरसात व बादले फटने की घटनाओं से भारी जान-माल के नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करने हेतु है। इस मामले में मैं सूचित करना चाहूंगा कि 20 अगस्त, 2019 को

माननीय सदस्य सर्वश्री जगत सिंह नेगी, अनिरूद्ध सिंह, राम लाल ठाकुर, मोहन लाल ब्राक्टा व कर्नल इन्द्र सिंह जी ने नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा हेतु विषय दिया था जिसके ऊपर इस माननीय सदन में विस्तृत चर्चा हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी ने चर्चा का उत्तर भी दिया। रूल्स ऑफ बिजनेस कहता है कि एक चर्चा होने के बाद हम सदन में उसी विषय पर दोबारा चर्चा नहीं कर सकते हैं। मैं यह बात भी सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि दिनांक 20 अगस्त, 2019 को चर्चा हुई और इसके बाद कुछ स्थानों पर बादल फटे। उस पर 2 माननीय सदस्यों ने नियम-62 के अंतर्गत नोटिस दिया और उन्होंने विस्तार से हमें बताया कि यह 20 तारीख की चर्चा के बाद की घटना है। उन्हें हमने नियम-62 के अंतर्गत इसी विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी है; नियम-62 के तहत इस विषय पर आज चर्चा होनी है। अतः नियम-67 के नोटिस को हम आज निरस्त करना चाहेंगे और करते है।"

माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था के उपरान्त कांग्रेस विधायक दल के सदस्य सदन में अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, **नेता प्रतिपक्ष** ने कहा कि श्री जगत सिंह नेगी का नोटिस सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने में विफल रहने से संबंधित है।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष यदि सदन में नारेबाजी करेगा तो चर्चा कैसे होगी।

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न काल आरम्भ करने की घोषणा करने पर कांग्रेस विधायक दल के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।

माननीय मुख्य मंत्री ने बहिर्गमन की निंदा करते हुए कहा कि 'आज सत्र का अंतिम दिन है। विपक्ष इस प्रकार कानून और नियमों का मज़ाक बनाएगा, मुझे इस बात की कल्पना नहीं थी।'

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित उल्लेख किया-

"आज माननीय मुख्य मंत्री जी की धर्मपत्नी डॉ0 साधना ठाकुर जी सदन की कार्यवाही देखने आई हैं। हम उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।"

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

सदस्यों के उपस्थित न होने के कारण तारांकित प्रश्न संख्याः 1526 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 1594 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 1533 (स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1591, 1593, 1595, 1596 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1592 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। माननीय मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप कर माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्नों पर स्थिति और स्पष्ट की। तारांकित प्रश्न संख्याः 1597 से 1629 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 482 से 504 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(11.58 बजे पूर्वाह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्य सदन में वापिस आए।)

2. कागज़ात सभा पटल पर

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40(7) तथा वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक लेखे, वर्ष 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2019-20) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के 41वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 132वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उद्यान विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के 158वें मूल प्रतिवेदन (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 186वें कार्रवाई प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के 42वें मूल प्रतिवेदन (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 124वें कार्रवाई प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति के 110वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 222वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(v) समिति के 83वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 119वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उद्यान विभाग से सम्बन्धित है;

(vi) समिति के 138वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि मत्स्यपालन विभाग से सम्बन्धित है;

(vii) समिति के 30वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 107वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(viii) समिति के 86वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 121वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उद्यान विभाग से सम्बन्धित है;

(ix) समिति के 326वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 80वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि गृह विभाग से सम्बन्धित है;

(x) समिति के 35वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 160वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि वित्त विभाग से सम्बन्धित है; और

(xi) समिति के 81वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 168वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है।

4. विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड-3 पर सरकार की ओर से संशोधन प्रस्तुत हुआ समझा गया।

सर्वश्री राकेश सिंघा, सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, हर्षवर्धन चौहान व राम लाल ठाकुर, सदस्यों ने चर्चा की एवं स्पष्टीकरण मांगाः-

माननीय अध्यक्ष ने विधेयक पर निम्नलिखित टिप्पणी की-

"**माननीय सदस्यों** ने अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया है और यह जो भावनाएं या पीड़ा है इसकी वजह केवल यह है कि विषय-वस्तु को सही होने पर भी सही स्थान पर प्रस्तुत नहीं किया गया। माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी के मत से हम सहमत हैं कि हर चीज के लिए, चाहे आपने 2000 रुपये ही बढ़ाने है, इसके लिए भी आप इस माननीय सदन में आ गए और फिर वह सारे प्रदेश का मुद्दा बन जाता है। इसके लिए आपको ऐसी प्रक्रिया बनानी चाहिए जिससे स्थाई रूप से एक नियम बन जाए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का उदय इन्हीं मुद्दों को लेकर हुआ कि यह सुविधा नहीं मिलनी चाहिए या वह सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि दिल्ली में उन्होंने क्या व्यवस्थाएं दी हैं, उसकी डिटेल मंगवाए। आपको जान कर हैरानी होगी की लगभग तीन लाख रुपये के आस-पास एक विधायक को दिया जा रहा है, विधायक के विधान सभा क्षेत्र में एक वैल फर्निशड ऑफिस 70 के 70 विधान सभा क्षेत्रों में बनाकर साथ में एक सहयोगी तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिया गया है। अभी दो विधान सभाओं के ऊपर एक Rsearch Scholar भी

दिया गया है। इस तरह 35 Research Scholar दिए हैं जिनका वेतन एक लाख रुपये है जो उस विधायक को असिस्ट करेंगे। यह घोषणा वहां के माननीय अध्यक्ष ने तीन दिन पहले हमारी बैठक में की।"

खण्ड 3 पर संशोधन स्वीकार करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 15) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 15) संशोधित रूप में पारित हुआ।

(ii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

श्री राकेश सिंघा व श्री सुखविन्द्र सिह सुक्खु ने चर्चा की एवं स्पष्टीकरण मांगे।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 16) पारित हुआ।

(iii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 17) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 17) पारित हुआ।

(iv) **डॉ0 रामलाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 14)" पर विचार किया जाए।

श्री राकेश सिंघा, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, श्री जगत सिंह नेगी व श्री राकेश पठानिया ने चर्चा की एंव अनुरोध किया की बिल पर और विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति (Select Committee) को भेजा जाए।

माननीय कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हालांकि माननीय कृषि मंत्री ने माननीय सदस्यों की शंकाओं का समुचित उत्तर दे कर समाधान किया है लेकिन क्योंकि यह बिल बहुत बड़ा है इसलिए इसका और अध्ययन करने तथा इस पर और गहन विचार-विमर्श करने के लिए इसे प्रवर समिति (Select Committee) को भेजे जाने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 14) को प्रवर समिति (Select Committee) को भेजा जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

01.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.15 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

भोजनावकाश के उपरान्त 2.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

(1) (i) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री ने** "केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को CAMPA FUNDS के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान" बारे वक्तव्य दिया।

(ii) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मंत्री** ने Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises Department के द्वारा National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) योजना के अंतर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम को केन्द्र सरकार से 100 इलेक्ट्रिक बसें क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता स्वीकृति बारे वक्तव्य दिया।

(2) **डॉ0 राजीव सैजल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री** ने "विभाग को पोषण अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ निष्पादन हेतु तीन राष्ट्रीय पुरूस्कार एक जिला सोलन व दो खण्डों को प्राप्त हुए हैं" बारे वक्तव्य दिया।

6. नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्री परमजीत सिंह, सदस्य ने नियम-62 के अंतर्गत "भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई प्रधान मन्त्री श्रम योगी मानधन योजना,** से उत्पन्न स्थिति की ओर उद्योग मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।"

माननीय उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य** ने नियम-62 के अंतर्गत**"भरमौर व चौपाल क्षेत्रों में बादल फटने** से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।"

श्री बलवीर सिंह ने भी चर्चा में भाग लिया।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्रीमती आशा कुमारी ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

7. नियम-61 के अन्तर्गत चर्चा

(2) **श्री राम लाल ठाकुर ने** दिनांक 26 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1409 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।

(3.20 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(3) **श्री रमेश चन्द ध्वाला ने** दिनांक 26 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1403 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री रमेश चन्द ध्वाला ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

(**3.40 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए**)

(4) **श्री लखविन्द्र सिंह राणा ने** दिनांक 30 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1548 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।

माननीय उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(5) **श्री आशीष बुटेल ने** दिनांक 30 अगस्त, 2019 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 472 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री आशीष बुटेल ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

8. नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

श्री राम लाल ठाकुर, डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, श्री राकेश सिंघा, श्री अनिरूद्ध सिंह, श्री लखविन्द्र सिंह राणा, श्री नरेन्द्र ठाकुर, श्री परमजीत सिंह, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल तथा श्री आशीष बुटेल की ओर से नियम-324 के अन्तर्गत विषय उठाए गए समझे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

(**उत्तर की प्रति संबंधित माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवाई गई।**)

<u>सत्र का समापन</u>

सत्र की समाप्ति के अवसर पर माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन के निष्पादित कार्य का उल्लेख

...

"आज मानसून सत्र समाप्ति की ओर अग्रसर है। मैं सदन के ध्यान में कुछ विशिष्टताएं लाना चाहूंगा। यह मानसून सत्र अनेक प्रकार से और ऐतिहासिक सत्र रहा है। मैंने वर्ष 2015, 2016, 2017, 2018 व 2019 पांच वर्षों का जो डाटा निकालने की कोशिश की है। वर्ष 2015 में 317 तारांकित प्रश्न, वर्ष 2016 में 217 तारांकित

प्रश्न, वर्ष 2017 में 80 तारांकित प्रश्न, वर्ष 2018 में 272 तारांकित प्रश्न और इस बार वर्ष 2019 में 527 तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में रखा गया है। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्न वर्ष 2015 में 126, वर्ष 2016 में 91, वर्ष 2017 में 28, वर्ष 2018 में 84 और वर्ष 2019 में 236 माननीय विधायकों ने भेजे और सरकार ने उनका उत्तर दिया। नियम-61 के अंतर्गत वर्ष 2015, 2016 व 2017 में कोई मसौदा नहीं लगा। वर्ष 2018 में 5 और वर्ष 2019 में 12 मदों पर नियम-61 के अंतर्गत चर्चा हुई। नियम-62 के अंतर्गत वर्ष 2015 में दो मदें, वर्ष 2016 में चार मदें, वर्ष 2017 में कोई विषय नहीं लगा, वर्ष 2018 में *6* मदें और वर्ष 2019 में नियम-62 के अंतर्गत 11 मदों पर चर्चा हुई है। इस माननीय सदन में माननीय सदस्यों ने जो विषय उठाए और सरकार ने उनका उत्तर दिया उनमें नियम-63 के अंतर्गत वर्ष 2015, 2016 व वर्ष 2017 में कोई विषय नहीं लगा था और वर्ष 2018 में दो विषय और वर्ष *2019* में कोई विषय नहीं लगा है। हमने नियम-63 को नियम-62 में कनवर्ट किया है। नियम-67 के अंतर्गत शून्य लगातार है। नियम-101 के अंतर्गत वर्ष 2015 में दो, वर्ष 2016 में दो, वर्ष 2017 में शून्य, वर्ष 2018 में तीन और वर्ष 2019 में 4 विषयों पर चर्चा हुई जिनका उत्तर सरकार द्वारा दिया गया। नियम-102 के अंतर्गत वर्ष 2015 में एक मद पर चर्चा हुई और उसके बाद चार वर्षों में कोई भी मद प्रस्तुत नहीं की गई। नियम-130 के अंतर्गत वर्ष 2015 में चार, वर्ष 2016 में दो, वर्ष 2017 में शून्य, वर्ष 2018 में चार और वर्ष 2019 में सात मदों के ऊपर चर्चा हुई। अगर हम इसका आकलन करके देखें तो इस सत्र को हम एक सार्थक सत्र कह सकते हैं। इस सत्र में नियम-130 के अंतर्गत 14 घंटे 15 मिनट चर्चा हुई जिसमें 43 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। नियम-61 के अंतर्गत 3 घंटे 18 मिनट चर्चा हुई जिसमें 13 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। नियम-62 के अंतर्गत 3 घंटे चर्चा हुई जिसमें 6 माननीय सदस्यों ने भाग लिया । इस प्रकार कुल मिलाकर 47 घंटे 43 मिनट इस सदन की कार्यवाही चली जो मॉनसून सत्रों में ऐतिहासिक है। जनमंच से संबंधित श्री राजेन्द्र राणा जी का प्रश्न, जिसका ज़िक्र मैंने पिछले कल भी किया था, उसका 1500 पृष्ठों का उत्तर यहां पर रखा गया।ष्"

सदन की समाप्ति पर माननीय मुख्य मंत्री के संबोधन का संक्षिप्त विवरण

"माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मॉनसून सत्र समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि काफी अरसे के बाद मॉनसून सत्र की ग्यारह बैठकें हुई हैं। मॉनसून सत्र में इतनी बैठकें इससे पहले भी हुई होंगी, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। आमतौर पर मॉनसून सत्र की 5 या 6 और बज़ट सत्र की 24 या 25 बैठकें होती थीं लेकिन इस बार लोक सभा की तैयारी और

आचार संहिता को मद्देनज़र रखते हुए बज़ट सत्र को छोटा किया गया। हम इस बार बज़ट सत्र की 13 बैठकें ही कर पाए इसलिए हमने उसी वक्त तय किया कि बैठकों को पूरा करने के लिए मॉनसून सत्र की बैठकें बढ़ाई जाएंगी ताकि जो एक वित्तीय वर्ष में 35 बैठकें होती हैं उन्हें पूर्ण किया जा सके। इस मॉनसून सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और 11 दिनों का यह मॉनसून सत्र बहुत ही बेहतर रहा। जो आपने पिछले वर्षों का आंकड़ा पेश किया है, उसमें वर्ष 2018 में 272 विधान सभा प्रश्न लगे थे जबकि इस सत्र में 527 प्रश्न लगे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सत्र का सफलतापूर्वक संचालन हुआ है जिसके लिए मैं विपक्ष के मित्रों का भी आभार व्यक्त करता हूं। ..

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का संतोष है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर सांझा चर्चा यहां पर हुई है, दोनों पक्षों की ओर से चर्चा हुई है और सार्थक चर्चा हुई है उसके लिए मैं विपक्ष के नेता और विशेष तौर से इस सदन के सबसे वरिष्ठ नेता माननीय वीरभद्र सिंह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं विधान सभा सचिवालय और अपने सचिवालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने प्रश्नों के उत्तर और सत्र से संबंधित सूचनाएं एकत्रित कर इस माननीय सदन में उपलब्ध करवाई है। ..मैं पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सार्थक चर्चा में सहयोग दिया। मैं अपने माननीय मंत्रिमंडल का भी धन्यवाद करता हूं कि विपक्ष ने जो प्रश्न किए उनके सार्थक उत्तर उन्होंने दिए। हमारी सरकार की सभी उपलब्धियां और सत्ता पक्ष की ओर से जो प्रस्तुत किया जा सकता था, उसे इस माननीय सदन में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। .. कुल मिलाकर बहुत सार्थक चर्चा हुई और सफल आयोजन इस माननीस सदन का आपके नेतृत्व में आपकी अध्यक्षता में हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस सफल आयोजन के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। .. मैं उम्मीद करता हूं कि जब हमारा अगला सत्र धर्मशाला में होगा उसके दौरान हम मिलेंगे तब तक के लिए आप सब के लिए शुभकामनाएं।"

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष के संबोधन का संक्षिप्त ब्यौरा

"माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्र समापन की तरफ बढ़ रहा। .. आपके नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष महोदय 11 दिन का यह सत्र हुआ और आपने बिजनैस की बात की; यह निश्चित तौर पर सही बात है कि काफी कार्य इस सत्र में हुआ है। ..

निश्चित तौर पर सत्र के दौरान काम हुआ है। मुझे भी इस माननीय सदन में बैठते हुए 16-17 साल हो गए हैं परन्तु नियम-61 पर पहली बार इतनी चर्चाएं शुरू हुई हैं और सवालों के उत्तर मांगे गए। जितने भी वरिष्ठ सदस्य यहां पर बैठे हैं कोई एकाध व्यक्ति होता था जो किसी एक सत्र में पूछ लेता था, लेकिन इस बार नियम-61 पर बहुत काम हुआ। मुझे लगता है कि इससे आने वाले समय में लोगों का मार्गदर्शन भी हो रहा है कि आप अपने सवाल पर किस प्रकार जवाब हासिल कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा आग्रह है कि नियम-101 के लिए कोई ऐसा तौर-तरीका बनाएं जिससे यह बंट कर आ जाए।.. आपका विवेक है कि यदि आप इसका कोई रास्ता निकाल सकें क्योंकि विपक्ष को भी आपके संरक्षण की हमेशा जरूरत रहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में आपने लगभग डिज़िटल कर दिया। हम सभी लोग सीख रहे हैं। ..मेरा आपसे आग्रह है कि यह जो सदन की कार्यवाही है, इसको संतुलित करने के लिए और सारी जनता तक यह पहुंचे, इसको टेलीकास्ट करने का आप बन्दोबस्त करें। ..

मुझे उम्मीद है कि इस बार सत्र की 35 बैठकें पूरी हो जाएंगी और इस बार रूल ससपैन्ड नहीं करना पड़ेगा। धर्मशाला का सत्र आप फुल-फ्लैज्ड करेंगे और विधान सभा की जितनी बैठकें बची हैं, वे सारी आप करवाएंगे।

अन्त में मैं माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी का आभार जताता हूं जो लगातार हमारे लिए मार्गदर्शन बने हुए हैं और पूरा समय हमें दे रहे हैं।"

सदन की समाप्ति पर माननीय अध्यक्ष का संबोधन

"वर्षाकालीन सत्र समाप्ति की ओर अग्रसर है और जैसा यहां बताया गया कि इस सत्र में 11 बैठकें हुईं, मैंने विस्तार से पहले नोट करा दिया और 10 सरकारी विधेयक प्रस्तुत हुए, 9 पास हुए और एक सलैक्ट कमेटी को भेजा गया। हमें उन सभी समितियों का धन्यवाद करना है जो समितियां लगातार वर्षभर बैठती हैं और समितियों के 61 प्रतिवेदन इस सभा में प्रस्तुत किए गए। माननीय सदन के नेता मुख्य मंत्री महोदय, मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य, माननीय विपक्ष के नेता और सभी माननीय सदस्यों का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। मैं मानता हूं कि इतने प्रश्न, इतना एजेण्डा नियम-130, नियम-62, नियम-61 और नियम-63 में लगे, उतने शायद ही कभी आए होंगे। 35 से अधिक

विषय नियम-130 में माननीय विधायकों ने दिए अर्थात विधायकगण चर्चा के प्रति सजग हैं और किस-किस मद में चर्चा लगाई जा सकती है, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हम माननीय मंत्रीगण का इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय सदस्यों ने जो चर्चा लगाई, उनका उन्होंने उत्तर दिया। माननीय वीरभद्र सिंह जी लगातार सदन में बैठे रहे और उन्होंने हम सबको एक सन्देश दिया कि यह लोकतंत्र का मंदिर है, आप किसी भी स्थिति में हैं, इसको मत छोड़ें, यह सन्देश माननीय वीरभद्र सिंह जी ने हमको दिया। कुछ और महत्वपूर्ण विषय हैं। जैसे इस बार विधान सभा में कुछ सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मुख्य मंत्री जी, मंत्रीगणों एवं विधायकगणों से मिलने के लिए प्रतिदिन लगभग 100, 200 या 1000 लोग आ रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आग्रहपूर्वक कहा था कि इन लोगों को गर्मी और बरसात में असुविधा होती है। इसलिए एक अच्छा स्थान जहां पर लगभग 300-350 लोग बैठ सकते हैं, बनाया तथा वहां पर टॉयलेट्स और पानी की व्यवस्था भी की। इसके अलावा हमारा जो गेट है, उसके पास बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी रहते हैं। उनके लिए नये टॉयलेट्स की व्यवस्था और मैजिस्ट्रेट कक्ष, ये सब इस बार अलग से निर्मित करके विशिष्ट व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया है।

मैं सदन के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि पिछले साल से पासिज को सभी लोगों को इशू किया जा रहा है बल्कि मीडिया के साथियों को भी पासिज इशू किए जा रहे हैं और उन्होंने भी उसको सहर्ष स्वीकार किया है। विधान सभा में जो लोग किसी-न-किसी रूप में काम करने के लिए आते हैं, यह शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया है कि उन सबके गले में पास हों और उनको तीन दिन पहले विधान सभा द्वारा ये पास उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस बार यह पहला अवसर है जब आगन्तुकों के फोटो पहचान पत्र बनाए गए और बिना फोटो पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को विधान सभा में प्रवेश नहीं मिला, चाहे एक ग्रुप में 10 या 20 लोग आए या किसी मंत्री या विधायक के रेफ्रेंस पर कोई आए। स्पैशलाइज्ड कैमरे रिसैप्शन पर लगाए गए हैं और मेरे कक्ष में भी कैमरे लगाए गए हैं। सभी आगन्तुकों की फोटोग्राफी करके उनको डिजिटल पास उपलब्ध करवाए गए। यह एक विजिबल अंतर है।

सदन शुरू होने से पहले माननीय मीडिया के साथियों ने कुछ विषय हमारे ध्यान में लाए थे। उनके आधार पर मीडिया के कक्ष में कुछ नये कम्प्यूटर ऐड किए गए तथा उनके कमरे को और सुसज्जित करने का प्रयास किया गया। इनके लिए

पीने-के-पानी की कोई सुविधा नहीं थी इसलिए मीडिया तथा विधायकों के लिए डिस्पैंसर लगाए गए हैं। शायद आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, उसमें गर्म, ठण्डा और नॉर्मल तीनों प्रकार का पानी आ रहा है।

आज हम सदन में सूचित करना चाहेंगे कि अगले सत्र में जब हम आएंगे तो मीडिया के सभी साथियों के लिए हैडफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि वे विषय-वस्तु को ठीक से सुन सकें। अभी मीडिया की टेबल्ज के ऊपर एक-एक कम्प्यूटर है लेकिन 24 कम्प्यूटर हम मीडिया के लिए और लगाएंगे ताकि वे लगातार प्रश्न-उत्तर को ठीक से देख सकें और जो टेबल ऑफ द हाउस के ऊपर कागज़ात रखे गए हैं, उनको भी देख सकें।

एक और परिवर्तन जो आप सभी लोगों के महान सहयोग से हो पाया है, वह यह है कि पहले हमारे 150 सैट प्रश्न पत्रों के प्रतिदिन प्रैस में छपने के लिए जाते थे लेकिन अब हम केवल 20 सैट ही कम्प्यूटर से निकालते हैं और उन्हीं को यहां पर रिकॉर्ड में रखते हैं। इससे बड़ी मात्रा में कागज़ की बचत हो रही है। प्रश्न के उत्तर के अब केवल दो सैट ही हम तैयार कर रहे हैं और दो ही सैट सदन के पटल पर रख रहे हैं। इस प्रकार कुछ परिवर्तन करने का यहां पर प्रयास किया गया है।

एक और बड़ी अच्छी बात जो मैंने भी कई वर्षों बाद नोटिस की है कि इस बार 24 विभिन्न कॉलेजिज और विद्यालयों के 794 विद्यार्थी सत्र देखने के लिए आए, जिसके अंदर एच0ए0एस0 और मीडिया के विद्यार्थी भी शामिल थे। इसके अलावा हिप्पा से भी लोग सत्र देखने के लिए आए और आमतौर पर देखने के बाद घंटें-दो-घंटें में चले जाते थे लेकिन इस बार तीन-तीन बजे तक उन बच्चों ने सैशन को अच्छे से देखा है।

कुल मिला कर हम यह कहना चाहेंगे कि माननीय सदस्यों ने जो विषय दिए, हो सकता है उनके अन्दर पूर्णतया न्याय इस पीठ से न हुआ हो, फिर भी हमने भरसक प्रयास किया कि अगर नियम-130 में लिखा है तो उसको नियम-62 में कर लो, नियम-62 में लिखा है तो उसको नियम-61 में कर लो, लेकिन जैसे-तैसे उनके विषय यहां पर लग जाएं, ऐसा प्रयास किया है।

नियम समिति के पास हम तीन-चार मसौदे लेकर जाएंगे। नियम समिति और फिर उसके बाद सदन, जो मैंने अपने 20 साल के अनुभव से कुछ बातें देखी हैं, हमारे पास 50, 52 या 55 स्टार्ड क्वैशचन एक बार लिस्ट में होते हैं। उनमें से 5,

7, 8 या 10 के ऊपर चर्चा होती है बाकी उत्तरित प्रश्न के रूप में माने जाते हैं। हम इस विचार को ले कर आपसे चर्चा करेंगे कि जितने प्रश्न एक दिन में लिस्ट हुए, उनमें से 20 प्रश्नों की हम लॉटरी निकाले और लॉटरी निकालकर उन 20 के 20 प्रश्नों का एक घंटे के अंदर उत्तर लें और बाकी 30, 35 या 40 प्रश्नों का जैसे लिखित उत्तर अभी आ रहा है, वह आता रहे। हम निश्चित रूप से उस लॉटरी के बाद यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि ये 20 प्रश्न हमारे इस मद में जा सकेंगे। ऐसे ही कुछ और संशोधन हम नियम समिति में और सदन के पास लाएंगे ताकि आने वाले समय में और अच्छे तरीके से हमारे माननीय सदस्यों के विषयों को लेकर सदन आगे बढ़ सके।

एक विषय और पहली बार इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, भाई मुकेश जी ने जो विषय उठाया, आपकी सहमति से सदन ने उसको पारित किया कि जो माननीय सदस्य अपना प्रश्न, उत्तर और उसकी जो डिबेट है, उसकी ऑडियो सी0डी0 अगर मांगे तो उसको तुरन्त उपलब्ध करवा रहे हैं। अनेकानेक माननीय सदस्यों ने विधान सभा सचिवालय से इसे लिया है। यह पहला अवसर है। इससे पहले भी दो-चार बार पिछले साल यह दी गई परन्तु अब अधिकृत तौर पर सदन ने उसको स्वीकार किया है। चाहे वह उसे सोशल मीडिया में यूज़ करे, वह अधिकृत वर्शन है। इसके लिए भी मैं सदन को बधाई देता हूं।

मुझे जहां सदन के नेता श्री जय राम ठाकुर जी और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, माननीय मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री, माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी, माननीय उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी , हमारे सचिवालय के सचिव श्री यशपाल शर्मा जी, सचिवालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों, हिमाचल प्रदेश सचिवालय के चीफ सैक्रेटरी से लेकर सभी अधिकारियों, मीडिया और आप सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना है कि आप सभी ने इस सदन के संचालन में हमें भरपूर सहयोग दिया और जब कभी किसी भी प्रकार की रुकावट आई, हमने आप सब से आग्रह किया, आपने रिस्पैक्टफुली उन सारी चीजों को मानते हुए सदन को चलाने में हमारा भरपूर सहयोग किया; इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हम अगले सत्र में जब दोबारा मिलेंगे, जहां आपको उससे पहले तक के लिए शुभकामनाएं देते हैं, इसी मध्य नवरात्रे आने हैं, इसी मध्य दशहरे का महान पर्व आना है, भैया दूज का पर्व इसी मध्य आएगा और अनेक महत्वपूर्ण विषय और बाई-इलैक्शन भी दोनों के दोनों इसी मध्य आएंगे, मैं आप

सभी लोगों को, आपके जीवन में खुशियां आएं, इन सब के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मेरे से कोई त्रुटि रही, मेरी ओर से व्यवहार में भी जो कमी रही, उसके लिए क्षमा याचना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

इससे पहले कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए और हम वंदे मातरम के लिए खड़े हों, माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।"

मुख्य मंत्री द्वारा पुनः संबोधन

"माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा बोझ महसूस हो रहा था अपने मन में कि जो नये इनिशियेटिव्ज़ आपने इस माननीय सदन के बेहतर ढंग से संचालन की दृष्टि से लिये हैं, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। विशेष तौर से वर्षों से एक प्रचलित व्यवस्था है कि विधान सभा के कैम्पस में बड़ी तादाद में लोग सत्र के दौरान मिलने आते हैं। उनके आने के बाद न बैठने के लिए जगह, न टॉयलैट करने की जगह और न पानी पीने की व्यवस्था होती थी। यह सचमुच में बहुत बुरा लगता था। जब हम लोगों को मिलते थे, या तो बाहर जाकर मिलना होता था या फिर मिलने की व्यवस्था इस प्रकार से होती थी कि जहां मंत्रिगण बैठते हैं उनके सामने जो गैलरी है उस गैलरी में लोग इस प्रकार से भर जाते थे कि लम्बी कतार लग जाती थी। कई घंटे खड़े रहकर लोग विकट परिस्थिति का सामना करते थे। उसमें से कई लोग अपाहिज भी होते थे, बीमार होते थे। आपसे हमने अपनी भावना ही शेयर की थी और कहा था कि हमने ओकओवर में बैठने की व्यवस्था कर दी। सचिवालय में लोगों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था कर दी। किसी को खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। यहां विधान सभा के कैम्पस में उस व्यवस्था को करना बड़ा कठिन काम था लेकिन फिर भी आपने उसके लिए रास्ता ढूंढा और उस काम को किया। यहां पर 11 दिनों में हज़ारों लोगों से मेरा मिलना हुआ। लेकिन सभी लोग एक जगह बैठकर आराम से इंतजार करते हैं। विधान सभा की कार्यवाही देखते और सुनते हैं। उसके बाद जो हमको उन्होंने अपना कागज़-पत्र देना होता है, उसे देने के लिए वहां पर इंतजार करते हैं और उस काम को भी पूरा करते हैं। आपने वहां पर टॉयलैट की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, मैं समझता हूं कि जिसकी आवश्यकता थी, वह काम आपने पूरा किया है। आने वाले समय में और क्या बेहतर किया जा सकता है, उसमें मिल करके रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम दूसरे कैम्पसिज़ में जाते हैं, वहां बहुत खुला कैम्पस होता है। जगह खुली होती

है वहां ये सारी चीज़ें करनी सरल होती हैं। हमारे यहां अगर थोड़ा बहुत स्थान निकलता है तो एन0जी0टी0 रास्ते में आ जाता है। उसमें बहुत सारे इशुज़ हैं। **इन सारी चीज़ों को लेकर हम आने वाले समय में आपके सहयोग से विचार करते रहेंगे।**

दूसरे, आपने नये इनिशियेटिव्ज़ हाऊस के अंदर लिये। आपने मीडिया वालों के लिए भी कहा कि उनके लिए स्क्रीन की व्यवस्था करेंगे, उसके साथ-साथ हैडफोन्स का भी इंतजाम करेंगे। यह सचमुच में सराहनीय है। अध्यक्ष महोदय, मैं इन सारी बातों के लिए, जिनका आपने ज़िक्र किया है, सदन की ओर से और हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि आखिरकार जो धक्के खाकर हमको मिलने आते हैं वे गरीब लोग होते हैं, जनता होती है, उन सबको आपने जो सुविधा उपलब्ध करवाई, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष करके श्री राकेश सिंघा जी का भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं।"

(राष्ट्रीय गीत गाया गया।)

(04.55 बजे सायं सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)